राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं0 0141–2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई–मेल: dlbrajasthan @gmail.com

क्रमांक : प.1(क)( )कार्मिक / आर.एम.एस. / डीएलबी / 2024 / प्र.नि. / 5291 दिनांक : 28/02/24

आदेश

राजस्थान सेवा नियमों में किसी एक विभाग के अधिकारी / कर्मचारी को दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान है। जिसके अनुसार दोनों विभागों की आपसी सहमति से एक विभाग का अधिकारी / कर्मचारी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। विभाग की पूर्व स्वीकृति उपरान्त अधिकतम 4 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का प्रावधान है। तत्पश्चात् नगरीय निकायों की अनुशंषा पर प्रशासनिक विभाग की अभिशंषा पर वित्त विभाग की स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति अवधि को अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है एवं पांच वर्ष पूर्ण होने पर प्रशासनिक विभाग की अभिशंषा पर वित्त विभाग की स्वीकृति से प्रतिनियुक्ति अवधि को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिये ओर बढ़ाया जा सकता है।

विभागीय परिपत्र संख्या : एस्टे / एस / एफ.18 (ए)( )डीएलबी / 88 / 1118–1226 दिनांक 19.09.88, 1008–1210 दिनांक 15.05.1989 एवं परिपत्र संख्या प.1 (घ)(507) कार्मिक / प्रति.नि. / आरएमएस / डीएलबी / 93 / 1575–1620 दिनांक 13.04.2002 तथा प.1 (क)का. / आरएमएस / डीएलबी / 08 / 945–1128 दिनांक 09.03.2008 के द्वारा भी सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया कि अन्य विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों को विभाग की पूर्वानुमति / स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखा जावें।

कतिपय प्रकरणों में देखा गया है कि नगरीय निकाय द्वारा अन्य विभागों से सीधे ही पत्राचार कर बिना विभाग की पूर्व अनुमति / स्वीकृति के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर ड्यूटी पर ले लिया जाता है एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण विभाग को प्रेषित किये जाते हैं, जो नियमों के विरूद्ध एवं विभाग द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों के विपरीत कार्यवाही है। साथ ही प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति एवं विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति समाप्ति के आदेश जारी करने के बावजूद नगरीय निकायों द्वारा पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में विभाग की स्वीकृति के बिना नगरीय निकायों द्वारा किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को

Scanned with CamScanner

प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जावे एवं प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्ति से पूर्व ही कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि हेतु विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें। प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने या प्रतिनियुक्ति समाप्ति के आदेश जारी होने पर अविलम्ब पैतृक विभाग हेतु कार्यमुक्त करें। अन्यथा प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित नियम/प्रक्रिया/मानदण्ड की अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

इस सम्बन्ध में लेख है कि नगरीय निकायों में वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : प्रपत्र (1)।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(क)( )का./आर.एम.एस./डीएलबी/2024/प्र.नि. 5292-5672 दिनांक : 28/02/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें (समस्त)।
5. जिला कलेक्टर (समस्त)।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें (समस्त)।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग (समस्त)।
8. वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय।
9. उपायुक्त (कार्मिक), नगर निगम, जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(चांद मल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner

प्रपत्र

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूचना

नगरीय निकाय का नाम :

जिला :

क्रम सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय पदनाम	पैतृक विभाग	नगरीय निकाय में कब से कार्यरत हैं	क्या प्रतिनियुक्ति हेतु विभाग से स्वीकृति ली गई है? (स्वीकृति क्रमांक/दिनांक)	विभागीय स्वीकृति अनुसार प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति अवधि	विशेष विवरण, यदि कोई हो।

Scanned with CamScanner